

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2023
बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

भू-संपदा क्षेत्र में रोजगार

2023. श्री राजकुमार धूतः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश के भू-संपदा क्षेत्र में हुई रोजगार की हानि का आंकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार अवसरों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): वास्तविक संपदा क्षेत्र में रोजगार हानि के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे नहीं जाते हैं। तथापि, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। पीएमआरपीवाई के तहत नियोक्ता के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी।
